न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर (भरतपुर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियलस जज निर्णय सुखपाल बनाम अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका नगर वगै0 किस्म मुकदमा : प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.02.2022	प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का संस्थित किया कि आराजी खसरा नम्बर 654/0.07, 655/0.04, 659/0.11 वाके कस्बा नगर में अवस्थित है। विवादित आराजी सायलान व उनकी अन्य परिवारजन बहन वगै0 की खातेदारी का रकबा है जिस पर सायलान अपने हिस्सों के मुताबिक काबिज है जिसमें सायलान की निजी रिहायश व प्लाट बने हुए हैं तथा निजी रास्ते कायम किये हुए हैं। गैर सायलान गैरकानूनी तरीके से प्रशासनिक शक्तियों का दुरूपयोग करते हुए बिना कीमत दिये तथा बिना अधिग्रहित किये जबरन सायलना वगै0 की उक्त निजी आराजी पर सी0सी0 रोड बनाना चाहते हैं तथा रास्ता वगै0 कायम करना चाहते हैं और सायलान का बेदखल करने की फिराक में है। यदि गैरसायलान अपने इरादे में सफल रहे तो सायलान को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद या किसी अन्य तरह से न हो सकेगी। अतः गैर सायलान को ताफैसला मुकदमा पाबन्द फरमाया जावे कि वह सायलान वगै0 की खातेदारी के खसरा नम्बर 654/0.07, 655/0.04, 659/0.11 वाके कस्बा नगर में होकर कोई रास्ता आम व सी0सी0 रोड निर्माण नहीं करे तथा सायलान को बेदखल नहीं करें तथा अन्य ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे हकूक सायलान जायल हो अतः न्यायालय द्वारा दिनांक 26.11.2014 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की पुष्टि मूल वाद के निस्तारण तक की जावे। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्राथी की ओर से दिनांक 27.03.2015 को जबाव प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट पेश किया। अप्राथी ने अपने जबाब में कथन किया कि सायलान ने बिना भूमि रूपान्तरण कराये अवैध रूप से कृषि भूमि में निर्माण कर लिया है जिसकी बाबत ना तो नगर पालिका नगर से कोई निर्माण स्वीकृति ली है ना ही कोई विकास शुल्क जमा कराया है इस प्रकार सायलान का निर्माण कानूनी रूप से वैध नहीं है। सायलान ने रकबे की आड में नगर पालिका नगर की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है और अतिक्रमण अब भी जारी है। [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anurag Harit
Date: 2024.09.27 17:32:07 IST
Reason: SelfAttested

28/2/2022
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट नगर (डीग)

गंदे पानी की निकासी रोक दी है जहाँ काफी दल–दल हो चुका है जब नगर पालिका नगर द्वारा रास्ता आम पर सी0सी0 रोड निर्माण करने का निर्णय लिया तो सायलान ने मनगढत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय श्रीमान से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करा ली जो काबिले खारिज है। अतः न्यायालय द्वारा दिनांक 26.11.2014 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज फरमाया जावे। तथा सायलान द्वारा नगर पालिका नगर की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को तुडवाया जावे। प्रकरण में गत तारीख पेशी को उभय पक्ष के अभिभाषकों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने पक्ष में कथन किया कि सायलान की आराजी से गैर सायल का कोई सम्बंध–सरोकार नहीं है। नगर पालिका अधिनियम की धारा 75 के अनुसार रजिस्टर में इन्द्राज होते है परन्तु इस प्रकार का कोई दस्तावेज गैरसायल ने प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का होना मेरे पक्ष में साबित होता है अतः न्यायालय द्वारा दिनांक 26.11.2014 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की पुष्टि दावे के निस्तारण तक की जावे। जबाब में वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थना पत्र के जबाब में सम्पूर्ण कथन कर दिये हैं। अतः जबाब प्रार्थना पत्र के आधार पर ही प्रकरण को निर्णित किया जावे।

प्रकरण में उभय पक्ष के अभिभाषकों की बहस पर मनन किया गया व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट, एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट, पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का होना प्रार्थी के पक्ष में साबित होने के कारण एवं विवादित आराजी सायलान की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाता है तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 26.11.2014 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की पुष्टि मूल–वाद के निस्तारण तक की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anurag Harit
Date: 2024.09.27 17:32:07 IST
Reason: SelfAttested